UPPCL CPF TRUST LUCKNOW

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन (विस्तार),

लखनऊ – 226001

Website-www.uppst.org

E-mail- cpftrust.2004@gmail.com

पत्र संख्याः /14/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/सामान्य ओदश/01 दिनाँकः 7/7/2021

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की दिनांक–30.06.2021 को सम्पन्न आठवीं० बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि नियमावली, 2004, जो कि केन्द्रीय अंशदायी भविष्य निधि नियमावली, 1962 के आधार पर तैयार की गयी है, के नियम–49.0 "Deductions" के बिन्दु सं० (a)(i) एवं (a)(ii) में प्राविधानित व्यवस्था को संज्ञान में लेते हुये निम्न आदेश पारित किये जाते हैः–

1. यदि किसी कार्मिक को 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने से पूर्व उ०प्र०पा०का०लि०/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0/ समस्त डिस्कॉम द्वारा दण्डस्वरूप विभाग से निष्कासित अथवा पदच्युत किया जाता है, ऐसी परिस्थिति में कार्मिक के सी०पी०एफ० खाते के अन्तिम अवशेष मे से नियोक्ता अंशदान + उस पर अर्जित ब्याज की कटौती कर शेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा अर्थात् केवल कार्मिक के अंशदान पर ब्याज देय होगा।
2. बिन्दु सं०–1 पर वर्णित परिस्थितियों के अतिरिक्त 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने से पूर्व किसी अन्य परिस्थिति यथा–सेवानिवृत्ति/मृत्यु/त्यागपत्र आदि की स्थिति में कार्मिक के सी०पी०एफ० खाते के अन्तिम अवशेष का पूर्ण रूप से (कार्मिक अंशदान +नियोक्ता अंशदान+अर्जित ब्याज) भुगतान किया जायेगा।
3. उक्त परिस्थितियों मे सी०पी०एफ० खाते का अन्तिम भुगतान कार्मिक/दावेदार अथवा किसी अन्य विभाग में अन्तरण किये जाने की स्थिति मे ब्याज की देयता उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि नियमावली, 2004 के नियम–34 "Interest" में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार होगी।

उपरोक्त वर्णित व्यवस्था आदेश निर्गमन की तिथि से लागू होगी एवं आदेश निर्गमन से पूर्व के प्रकरण पुनर्उद्घाटित नहीं किये जायेगें।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की आज्ञा से

पत्र सं0:– 831 /14/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/सामान्य ओदश/01/तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक महोदय के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि०/ उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (वित्त), उ०प्र०पा०का०लि०/ उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त कार्मिक ट्रस्टीज़, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट।
6. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वाचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि०, लखनऊ/ वाराणसी/ मेरठ/आगरा।
7. निदेशक (का० एवं प्रशा०), मध्यांचल/पूर्वाचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि०/केस्को, लखनऊ/ वाराणसी/ मेरठ/आगरा/कानपुर।
8. अधिशासी निदेशक (वित्त), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

9. मु० महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. मु० महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि०, आगरा।
11. महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), दक्षिणांचल/पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि०/केस्को, आगरा/मेरठ/कानपुर।
12. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. उपमहाप्रबन्धक (लेखा), पारेषण–मध्य/दक्षिण–पूर्व/पश्चिम/उत्तर–पूर्व/दक्षिण–मध्य/दक्षिण–पश्चिम, लखनऊ/प्रयागराज/मेरठ/गोरखपुर/झाँसी/आगरा।
14. उपमहाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), उ०प्र०पा०का०लि०, महानगर, लखनऊ।
15. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, मध्यांचल/पूर्वाचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि०, लखनऊ/वाराणसी/ मेरठ/आगरा।
16. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/ मध्यांचल/ पूर्वाचल/ पश्चिमांचल/दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि०/केस्को।
17. उपसचिव (ट्रस्ट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
18. लेखाधिकारी (मु० भुगतान/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
19. लेखाधिकारी–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
20. सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
21. समस्त लेखाकार/सहायक लेखाकार, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(एस० के० अवस्थी)
सचिव (ट्रस्ट)